

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन जिला बाड़मेर

गौतमदास बनाम सवाईराम व अन्य
अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आरटीए
नम्बर...74...सन् 2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जारी हुए

तामिल
हुकम

12.06.2025

वादी वकील श्री कानाराम ने यह राजस्व वाद धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादी वकील प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन डाक रजिस्टर एडी से पेश करे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 22.07.2025 को पेश हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) चौहटन

26/6/25

पत्रावली आज वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने का प्रकरण विज्ञो करने का पेश किया। शा. पत्रावली हो। पत्रावली पेशी तारीख पर लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वकील वादी को बुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मौजिज लोगो द्वारा प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पेशी पर ली जाकर जरिये विज्ञो खारिज फरमावे। हमने पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र विज्ञो करने का स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी तार पर जरिये विज्ञो खारिज की जाती है। पत्रावली फसल शुमार बिबरन डाकिले इफतर हो तब नम्बर से कम हो।

26/6/25
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन